न्यायालय–जिला न्यायाधीश, सलुम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)

पीठासीन अधिकारी	:	रामेश्वर प्रसाद चौधरी, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
प्रकरण संख्या	:	27 / 2025 ई.दी.
सी.आई.एस.नंबर	:	27 / 2025
सी.एन.आर.नं.	:	RJSA010004812025

1. श्रीमती कांता कुंवर पत्नी स्व. श्री सोहनसिंह, जाति राजपूत, उम्र 40 वर्ष
2. श्री गोपालसिंह पुत्र स्व. श्री सोहनसिंह, जाति राजपूत, उम्र 24 वर्ष
3. श्री अभयप्रताप सिंह स्व. श्री सोहनसिंह, जाति राजपूत, उम्र 13 वर्ष जरिये संरक्षक माता श्रीमती कांता कुंवर पत्नी स्व. श्री सोहनसिंह
4. श्रीमती भूरी बाई पत्नी श्री चंदन सिंह, जाति राजपूत, उम्र 66 वर्ष
5. श्री चंदनसिंह पिता भीम सिंह, जाति राजपूत, उम्र 70 वर्ष

सभी निवासी बस्सी झुंझावत, तह. सलूम्बर, जिला–सलूम्बर(राज.)

....प्रार्थीगण / वादीगण

–:: बनाम ::–

1. महाप्रबंधक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर (राज.)
2. क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, सलूम्बर
3. सहायक अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, सलूम्बर, जिला–सलूम्बर(राज.)

.....विपक्षीगण / प्रतिवादीगण

वाद अंतर्गत धारा 1–क एवं धारा 2 घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 वास्ते क्षतिपूर्ति

उपस्थिति :–

1. श्री बी.एल. सुथार, अधिवक्ता–प्रार्थीगण / वादीगण की ओर से।
2. श्री सुनील कुमार चंचावत, अधिवक्ता–प्रतिवादीगण ओर से।

–:: निर्णय ::– **दिनांक: 04.05.2026**

1. वादीगण श्रीमती कांता कुंवर वगैरा की ओर से विरूद्ध प्रतिवादीगण एक वाद अंतर्गत धारा 1–क घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 वास्ते क्षतिपूर्ति इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 19.09.2025 को पेश किया जो बाद जांच दिनांक 18.09.2025 को दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. प्रार्थीगण / वादीगण ने वादपत्र में अभिवचन किया है कि प्रार्थीया श्रीमती कांता कुंवर के पति सोहनसिंह पिता चंदन सिंह जी दिनांक 23.05.2025 को रात्रि के करीब 8.00 बजे अपने खेत से अपने घर वापस आ रहे थे, तभी गोलिया ओटा एनीकट के पास आए कि वहां पास में विद्युत विभाग की डीपी के उपर लगे 1क्यू11 केवीए ट्रांसफार्मर की 11 के.वी. की बुशिंग से एबी केबल अलग होकर जमीन से 4 फिट उपर लटक एवं झूल रही थी जिसमें 11 केवी का करंट एलटी एबी केबल में प्रवाहित हो रहा था, जिसके सोहन सिंह सर्म्पक में आ गए जिससे उनको हाईवोल्टेज का करंट लग गया और वे वहीं गिर पडे तथा अचेत अवस्था में चले गए। सोहन सिंह का हाथ व शरीर हाईवोल्टेज के करंट से जल गया, जिन्हें सलूम्बर होस्पीटल ले जाने पर उनको डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। उक्त दुर्घटना विपक्षीगण द्वारा अपने कर्तव्य निर्वहन में उपेक्षा तथा लापरवाही बरतने के कारण कारित हुई है। यदि विद्युत लाईन का अप्रार्थीगण द्वारा सही तरीके से नियमित तौर पर रख, रखाव किया जाता तो सोहनसिंह की मृत्यु कारित नहीं होती, जिस पर पुलिस थाना सलूम्बर में मर्ग संख्या 12 / 2025 पर दर्ज की जाकर मृतक का पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस ने अनुसंधान में सोहनसिंह की मृत्यु करंट लगने से मान कर अंतिम प्रतिवेदन उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सलूम्बर में पेश किया है। उक्त दुर्घटना विपक्षीगण द्वारा विद्युत लाईन की नियमित तौर पर रख, रखाव, मरम्मत, सुरक्षा में की गई लापरवाही के कारण हुई। यदि विभाग के कर्मचारी द्वारा लाईन की समय पर देखरेख की गई होती तो इस मामले की दुर्घटना नहीं होती। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एक निगमित निकाय है तथा विद्युत की सम्पूर्ण व्यवस्था एवं रख, रखाव तथा नई विद्युत लाइनें बिछाने व विद्युत सप्लाई करने का कार्य करता है। प्रतिवादी सं. 1 विद्युत की रख रखाव, आपूर्ति व सप्लाई का नियत्रंण करता है। सलूम्बर तहसील क्षेत्र में अपने ग्राहकों को बिजली देने एवं विद्युत लाइनों की रख, रखाव की जिम्मेदारी प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की है, जो प्रतिवादी संख्या 1 के अधीन कार्य करते हैं।

3. वादपत्र में प्रार्थीगण / वादीगण ने आगे अभिवचन किया है कि मृतक सोहन सिंह 40 वर्षीय व्यक्ति था, जो होटल चलाने का व्यापार तथा खेती एवं पशुपालन का कार्य करता था और मासिक 24,000 / –रूपये कमाता था। मृतक जीवित रहता तो अपनी आय और बढाता एवं वादीगण को आर्थिक मदद करता। वादीगण मृतक की आय से हमेशा के लिए वंचित हो गए। सोहन सिंह के दाह संस्कार में क्रमशः 50,000 / –रूपये का खर्चा हुआ और वादीगण, प्रतिवादीगण से विभिन्न मदों में 56,60,000 / –रूपये प्राप्त करने के अधिकारी है। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 23.05.2025 को उत्पन्न हुआ। इस मामले की दुर्घटना गांव बस्सी झुंझावत में गोलिया ओटा एनीकट के पास में हुई है, इस कारण न्यायालय को

वाद की सुनवाई का श्रवणाधिकार है। वाद निश्चित न्यायाशुल्क पर अंदर अवधि प्रस्तुत है। अंत में निवेदन किया गया कि वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध 56,60,000/– रूपये की डिक्री पारित की जाये और दुर्घटना की दिनांक से अदायगी तक 12 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज भी दिलाया जावे।

4. वादीगण के उक्त वाद का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से जवाब पेश कर अभिवचन किया गया कि–प्रतिवादीगण विद्युत निगम की अपने कर्तव्य निर्वहन में किसी प्रकार की कोई उपेक्षा व लापरवाही नहीं रही है बल्कि दुर्घटना तेज हवा चलने, आंधी, तूफान व बारिस आने के कारण कारित हुई है। प्राकृतिक आपदा एवं आंधी, तूफान व बारिश के कारण विद्युत लाइन में किसी प्रकार का कोई फाल्ट आ जाने या कोई वायर टूट कर झूल जाने पर प्रतिवादीगण के नियंत्रण में नहीं रहता है। दुर्घटना कुदरती प्रकोप के कारण एवं मृतक स्वयं की गलती, गफलत व लापरवाही के कारण कारित हुई है। यदि मृतक सावधानी रखते हुए विद्युत लाईन के झूलते हुए तार से थोडी दूरी से निकलता तो यह दुर्घटना कारित नहीं होती। वादीगण को कोई वाद कारण दिनांक 23.05.2025 को अथवा कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ है। बिना वाद हेतु वादीगण का वाद चलाने योग्य नहीं है। इस मामले की दुर्घटना में स्वयं मृतक की लापरवाही होने से वादीगण प्रतिवादीगण से किसी भी प्रकार की कोई प्रतिकर राशि पाने के अधिकारी नहीं है। अन्त में वादीगण का वाद खारिज करने का निवेदन किया है।

5. उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्न तनकियात कायम की गईः–

(1) आया दिनांक 23.05.2025 को रात्रि के करीब 8.00 बजे के लगभग वादीया कांता कुंवर के पति सोहन सिंह अपने खेत से वापस घर आ रहा था और वह जैसे ही गोलिया ओटा एनीकट के पास पहुंचा कि वहां विद्युत विभाग की डीपी के उपर से लगे 1क्यू16 केवीए ट्रांसफार्मर की 11 के.वी. की बुशिंग से एबी केबल अलग होकर जमीन से 4 फिट उपर लटक व झूल रही थी और उसमें करंट प्रवाहित हो रहा था, के सोहनसिंह के सर्म्पक में आ गया और उसके हाईवोल्टेज का करंट लग गया जिससे सोहनसिंह मौके पर ही गिर कर अचेत हो गया, जिसे सलूम्बर होस्पीटल में लाने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की मृत्यु प्रतिवादीगण की लापरवाही व अपकृत्यपूर्ण कार्य या लोप के कारण हुई है?

.....वादीगण

(2) आया वक्त घटना, घटनास्थल पर लगी प्रतिवादीगण की विद्युत लाईन के वायर पर्याप्त उंचाई पर थे तथा प्राकृतिक आपदाए एवं आंधी, तूफान तथा बारिश के कारण

विद्युत लाईन में किसी प्रकार का फाल्ट आ जाने या कोई वायर टूटकर झूल जाने पर प्रतिवादीगण के नियंत्रण में नहीं रहता। इस मामले की दुघर्टना कुदरती प्रकोप के कारण मृतक स्वयं की गलती, गफलत व लापरवाही के कारण कारित हुई है। इस दुर्घटना में प्रतिवादीगण की किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं रही है, इस कारण वादीगण प्रतिवादीगण से कोई प्रतिकर राशि पाने के अधिकारी नहीं है?

....प्रतिवादीगण

(3) आया वादीगण, प्रतिवादीगण से संयुक्त व पृथक रूप से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी है यदि हां तो कितनी व किस–किस मद में किस प्रकार से?

.....वादीगण

(4) अनुतोष?

6. दौराने विचारण वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य मे ए ड 1 के रूप में गोपाल सिंह, ए ड 2 श्रीमती कांता कुंवर का मुख्य परीक्षा का शपथपत्र पेश कर इनको परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 01 लगायत प्रदर्श 55 ए तक को प्रदर्शित करवाया गया।

7. प्रतिवादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में डी ड 1 अरूण कुमार चौधरी का मुख्य परीक्षण के लिए शपथपत्र पेश कर स्वयं को परीक्षित करवाया गया।

8. बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

9. दौराने बहस प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से तर्क दिया गया है कि सोहनसिंह दिनांक 23.05.2025 को रात्रि के करीब 8.00 बजे अपने खेत से अपने घर वापस आ रहे था, तभी गोलिया ओटा एनीकट के पास आयाकि वहां पास में विद्युत विभाग की डीपी के उपर लगे 1क्यू16 केवीए ट्रांसफार्मर की 11 के.वी. की बुशिंग से एबी केबल अलग होकर जमीन से 4 फिट उपर लटक एवं झूल रही थी जिसमें 11 केवी का करंट एलटी एबी केबल में प्रवाहित हो रहा था, जिसके सोहन सिंह सर्म्पक में आ गया जिससे उनको हाईवोल्टेज का करंट लग गया और वे वहीं गिर पडा तथा अचेत अवस्था में चले गया। सोहन सिंह का हाथ व शरीर हाईवोल्टेज से के करंट से जल गया, जिन्हें सलूम्बर होस्पीटल जलाने पर उनको डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। उक्त दुर्घटना विपक्षीगण ने विद्युत लाईन के रख–रखाव में लापरवाही बरती है, जिस कारण विद्युत करंट लगने से मृतक की मृत्यु हुई है, जिसके लिए अप्रार्थीगण प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है। वक्त दुर्घटना मृतक की आयु 40 वर्ष थी तथा वह होटल व्यवसाय तथा खेती एवं पशुपालन का कार्य करता था, जिससे 24,000/–रूपये मासिक

आय अर्जित कर लेता था। प्रार्थीगण मृतक की उक्त आय से वंचित हो गए है। अन्त में प्रार्थीगण ने विभिन्न मदों में कुल 56,60,000/–रूपये अप्रार्थीगण से दिलाये जाने का तर्क दिया।

10. दौराने बहस अप्रार्थीगण की ओर से तर्क दिया गया है कि प्रतिवादीगण विद्युत निगम की अपने कर्तव्य निर्वहन में किसी प्रकार की कोई उपेक्षा व लापरवाही नहीं रही है बल्कि दुर्घटना तेज हवा चलने, आंधी, तूफान व बारिस आने के कारण कारित हुई है। प्राकृतिक आपदा एवं आंधी, तूफान व बारिश के कारण विद्युत लाइन में किसी प्रकार का कोई फाल्ट आ जाने या कोई वायर टूट कर झूल जाने पर प्रतिवादीगण के नियंत्रण में नहीं रहता है। दुर्घटना कुदरती प्रकोप के कारण एवं मृतक स्वयं की गलती, गफलत व लापरवाही के कारण कारित हुई है। यदि मृतक सावधानी रखते हुए विद्युत लाईन के झूलते हुए तार से थोडी दूरी से निकलता तो यह दुर्घटना कारित नहीं होती। मृतक की आय प्रमाणित नहीं है। अन्त में प्रार्थीगण की क्लेम याचिका अस्वीकार कर खारिज करने का तर्क दिया है।

11. उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में विरचित किये गये विवाद्यकों पर न्यायालय का विनिश्चय निम्न प्रकार से हैः–

12. <u>**तनकी संख्या 01 व 02ः–**</u>

तनकी संख्या 01 में प्रार्थीगण को प्रमाणित करना था कि दिनांक 23.05.2025 को रात्रि के करीब 8.00 बजे के लगभग वादीया कांता कुंवर के पति सोहन सिंह अपने खेत से वापस घर आ रहा था और वह जैसे ही गोलिया ओटा एनीकट के पास पहुंचा कि वहां विद्युत विभाग की डीपी के उपर से लगे 1क्यू16 केवीए ट्रांसफार्मर की 11 के.वी. की बुशिंग से एबी केबल अलग होकर जमीन से 4 फिट उपर लटक व झूल रही थी और उसमें करंट प्रवाहित हो रहा था, के सोहनसिंह के सर्म्पक में आ गया और उसके हाईवोल्टेज का करंट लग गया जिससे सोहनसिंह मौके पर ही गिर गर अचेत हो गया, जिसे सलूम्बर होस्पीटल में लाने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की मृत्यु प्रतिवादीगण की लापरवाही व अपकृत्यपूर्ण कार्य या लोप के कारण हुई है।

तनकी संख्या 02 में प्रतिवादीगण को साबित करना था कि वक्त घटना, घटनास्थल पर लगी प्रतिवादीगण की विद्युत लाईन के वायर पर्याप्त उंचाई पर थे तथा प्राकृतिक आपदाए एवं आंधी, तूफान तथा बारिश के कारण विद्युत लाईन में किसी प्रकार का फाल्ट आ जाने या कोई वायर टूटकर झूल जाने पर प्रतिवादीगण के नियंत्रण में नहीं रहता। इस मामले की दुघर्टना कुदरती प्रकोप के कारण मृतक स्वयं की गलती, गफलत व लापरवाही के कारण कारित हुई है। इस दुर्घटना में प्रतिवादीगण की किसी प्रकार की कोई

लापरवाही नहीं रही है।

चूंकि उक्त दोनों तनकियों के संबंध में उभयपक्ष के द्वारा मिश्रित साक्ष्य पेश की गई है, इस प्रकार उक्त दोनों तनकियों का एक साथ निस्तारण किया जा रहा है।

प्रार्थीगण की ओर से अपने मामले के समर्थन में ए ड 1 गोपाल सिंह को पेश कर परीक्षित करवाया गया है। मुख्य परीक्षण के शपथपत्र में इस गवाह ने क्लेम याचिका में अंकित तथ्यों की पुनर्रावृतत्ति की है तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 लगायत प्रदर्श 20 को पेश कर प्रदर्शित करवाये गये हैं। अप्रार्थीगण की ओर से की गई जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि वक्त दुर्घटना वह मौके पर उपस्थित नहीं था एवं उसने घटना होते नहीं देखी। यह कहना सही है कि यह घटना तेज हवा चलने, आंधी तूफान व बारिश आने से विद्युत लाईन का वायर लूज होकर झूल जाने से घटना कारित हुई है। मौके पर 20 फीट चौडा रोड होगा लेकिन विद्युत पोल रास्ते के बीच में लगा था। यह कहना गलत है कि यह दुर्घटना मृतक स्वयं की गलती, गफलत एवं लापरवाही के कारण हुई हो। यह गलत है कि इस दुर्घटना में प्रतिवादीगण विद्युत निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों की किसी प्रकार की कोई गलती व लापरवाही नहीं रही हो। इस प्रकार इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में किये गये कथनों के विपरीत जिरह में ऐसा कोई कथन नहीं किया है जिससे इस गवाह द्वारा मुख्य परीक्षण में किये गये कथनों का खण्डन होता हो।

प्रार्थीगण के की ओर से परीक्षित अन्य गवाह पी ड 2 श्रीमती कांता कुंवर जो कि मृतक की पत्नी है, इसने भी मुख्य परीक्षण के शपथपत्र में ने क्लेम याचिका में अंकित तथ्यों की पुनर्रावृतत्ति की है तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 21 लगायत प्रदर्श 55ए को पेश कर प्रदर्शित करवाये गये हैं। अप्रार्थीगण की ओर से जिरह करने पर इस गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि वक्त दुर्घटना वह मौके पर उपस्थित नहीं थी। यह कहना सही है कि यह घटना आंधी तूफान व बारिस के कारण वायर लटकने से हुई। यह कहना गलत है कि अगर मृतक सोहन सिंह टूटे वायर को देखकर साइड में निकलते तो यह घटना कारित नहीं होती। यह कहना गलत है कि यह दुर्घटना मृतक सोहन सिंह की स्वयं की गलती, गफलत एवं लापरवाही के कारण हुई हो। यह कहना गलत है कि इस दुर्घटना में प्रतिवादीगण विद्युत निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों की कोई गलती व लापरवाही नहीं रही हो। इस प्रकार इस गवाह ने भी अपने मुख्य परीक्षण में किये गये कथनों के विपरीत जिरह में ऐसा कोई कथन नहीं किया है जिससे इस गवाह द्वारा मुख्य परीक्षण में किये गये कथनों का खण्डन होता हो।

अप्रार्थीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में डी ड 1 के रूप में अजय कुमार चौधरी को पेश कर परीक्षित करवाया गया है। मुख्य परीक्षा के शपथपत्र में इस गवाह ने जवाब क्लेम याचिका में अंकित तथ्यों की पुनर्रावृत्ति की है। प्रार्थीगण की ओर से की गई जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि बस्सी झुंझावत उसके कार्यक्षेत्र में आता है। यह कहना गलत है कि विभाग की लापरवाही से मृतक सोहन सिंह को करंट लगा हो और उसकी मृत्यु हुई हो। यह कहना सही है कि झूलते हुए वायर को सही किया, उससे पहले ही मृतक सोहन सिंह को करंट लग चुका था। यह कहना सही है कि प्र 18 हमारे विभाग द्वारा जारी कर मृतक के परिवार वालों को बतौर क्षतिपूर्ति पांच लाख रूपये का ऑफर दिया गया था। यह कहना सही है कि हमारे सिस्टम अनुसार हमने पांच लाख रूपये प्रदान करने का लेटर दिया।

इस प्रकार बचाव साक्षी ने प्रार्थीगण द्वारा क्लेम याचिका में बताये गए घटनास्थल पर मृत्यु आंधी तूफान व बारिश की वजह से वायर के नीचे झूलने से स्वयं मृतक की लापरवाही से वायर के आस–पास पर्याप्त चौडा रास्ता होने के बावजूद वायर के सर्म्पक में आना और दुर्घटना कारित होना बताया है तथा जिरह में इस बात को स्वीकार किया है कि झूलते हुए वायर को सही किया, उससे पहले ही मृतक सोहन सिंह को करंट लग चुका था। इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि यह सही है कि प्र 18 उनके विभाग द्वारा जारी कर मृतक के परिवार वालों को बतौर क्षतिपूर्ति पांच लाख रूपये का ऑफर दिया गया था। इस मामले में अप्रार्थीगण की ओर से केवल मौखिक रूप से कथन किया गया है कि मृतक की मृत्यु तथाकथित घटनास्थल पर स्वयं की लापरवाही से हुई है, जबकि इन कथनों के संबंध में घटनास्थल के आस–पास के किसी व्यक्ति को पेश कर परीक्षित नहीं करवाया है, जिसने यह देखा हो कि दुर्घटना मौके पर मृतक की लापरवाही से हुई हो। जबकि प्रार्थीगण की ओर से अपने याचिका के समर्थन में प्रदर्श 1 मृग, प्रदर्श 2 लिखित रिपोर्ट, प्रदर्श 3 मृतक के होस्पीटल लाकर दिखाने की पर्ची, प्रदर्श 4 पंचायतनामा लाश, प्रदर्श 5 मृतक के पीएम करने हेतु जारी तहरीर, प्रदर्श 6 फर्द सुपुर्दगी लाश, प्रदर्श 7 नक्शा मौका तथा प्रदर्श 8 रोजनामचा तफ्तीश, प्रदर्श 8 पीएम रिपोर्ट, प्रदर्श 9 लगायत प्रदर्श 17 पुलिस द्वारा की गई जांच के दस्तावेजात एवं प्रदर्श 18 प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण द्वारा क्षतिपूर्ति राशि पांच लाख रूपये का ऑफर देने के पत्र को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया है। नक्शा मौका प्रदर्श 7 के अनुसार ''ए'' स्थान पर बिजली का खंभा लगा हो डीपी से तार टूटकर नीचे झूल रहा था, जहां वायर के मृतक सोहन सिंह के सर्म्पक में आ जाने से करंट लगने से मृतक की मृत्यु होना बताया है। पीएम रिपोर्ट प्रदर्श 8 के अनुसार मृतक की मृत्यु विद्युत विभाग की डीपी से वायर झूलने से उसके संपर्क में

आने से करंट लगने से हुई है। अप्रार्थीगण को चाहिए था कि वे बारिश के समय में समय–समय पर स्वयं के द्वारा बिछाई गई विद्युत लाईनों का रख, रखाव करते ताकि किसी तरह का कोई हादसा ना हो सके, किन्तु अप्रार्थीगण के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं कर अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरती है और अप्रार्थीगण की लापरवाही के कारण मृतक सोहनसिंह डीपी से लग वायर के जमीन से 4 फिट की उंचाई पर ही झूलने से उसके सर्म्पक में आने से करंट लगने से उसकी मृत्यु हुई है। अप्रार्थीगण की ओर से तर्क दिया गया है कि मृतक की मृत्यु उसकी स्वयं की लापरवाही के कारण हुई किन्तु इस संबंध में किसी प्रकार की कोई जांच कर जांच रिपोर्ट या कोई चक्षुदर्शी साक्षी अप्रार्थीगण की ओर से पेश कर परीक्षित नहीं करवाया गया। पीएम रिपोर्ट में मृतक की अग्रभुजा पर इलेक्ट्रिक घाव (जला हुआ) 4 गुणा 3 सेमी बताया गया तथा इलेक्ट्रिक शॉक से मृत्यु होना दर्शाया गया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण की ओर से अपने बचाव में व तर्कों के समर्थन में कोई सुदृढ दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है जबकि प्रार्थीगण की ओर से अपनी क्लेम याचिका के समर्थन मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गई है, जो क्लेम याचिका में अंकित तथ्यों की पुष्टि करते है। परिणामतः मृतक की मृत्यु दिनांक 23.05.2025 को मृतक के खेत में से आते समय रास्ते में स्थित विद्युत डीपी में से झूलते हुए तार में करंट प्रवाहित होने से तथा तार के मृतक का हाथ लगने से हाथ में करंट आने के कारण हुई है। परिणामतः तनकी संख्या 1 प्रार्थीगण के पक्ष में तथा तनकी संख्या 2 अप्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णीत की जाती है।

13. <u>**तनकी संख्या 03ः–**</u>

इस तनकी को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर है। इस तनकी में प्रार्थीगण को साबित करना है कि वे अप्रार्थीगण से कितनी क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के हकदार है?

इस तनकी के संबंध में वादीगण के गवाह ए ड 1 गोपाल सिंह ने मुख्य परीक्षा के शपथपत्र में क्लेम याचिका के अभिवचनों की पुनर्रावृत्ति करते हुए मुख्य रूप से कथन किया है कि वक्त घटना मृतक की आयु 40 वर्ष थी और वह होटल का व्यवसाय करते थे तथा खेती एवं पशुपालन का कार्य करता था जिससे मासिक 24,000/–रूपये कमाता था उसकी आय में भविष्य में वृद्धि होती, जिससे उनको सहारा मिलता। अन्त में क्लेम में वर्णितानुसार राशि प्रतिवादीगण से दिलाये जाने का निवेदन किया है। प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि उसने अपने पिताजी की आय के संबंध में कोई दस्तोवज पत्रावली में पेश नहीं किए।

प्रार्थीगण की अन्य गवाह ए ड 2 जो कि मृतक सोहन सिंह की पत्नी है, ने भी मुख्य परीक्षण में ए ड 1 की साक्ष्य अनुरूप ही कथन किए तथा क्लेम में वर्णितानुसार राशि

प्रतिवादीगण से दिलाये जाने का निवेदन किया है। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि उसने पति के आयकर रिटर्न पेश किये है, वे वर्ष 2019–20 व 2020–21 के ही पेश किये, इसके बाद के चार वर्षों के आयकर रिटर्न पेश नहीं किये। यह कहना सही है कि बैंक स्टेटमेंट भी वित्तीय वर्ष 2020–21 का ही पेश किया है, उसके बाद के चार वर्षों का स्टेटमेंट पेश नहीं किया है। यह कहना सही है कि उसने पति के व्यवसाय बाबत् किराया चिट्टी 02.01.2018 से 01.12.2018 तक दिनांक 02.12.2019 से 02.10.2020 तक एवं दिनांक 16.12.2020 से दिनांक 15.11.2021 तक ही हॉटल किराया पर लेने की पेश की है। शेष चार वर्ष की किराया चिट्टी उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। यह कहना सही है कि सन् 2021 के बाद उसके पति ने हॉटल व्यवसाय बंद कर दिया था अजखुद कहा कि नौकरी करते थे। यह कहना सही है कि 2021 के बाद आय का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जो उसके पास उपलब्ध थे, वो उसने प्रस्तुत कर दिए। यह कहना सही है कि सहारा इंडिया की जमा राशि भी वर्ष 2016 की है।

उक्त बिन्दु के संबंध में प्रतिवादीगण का अभिवचन रहा है कि दुर्घटना स्वयं मृतक की लापरवाही से हुई है, इसलिए प्रार्थीगण कोई प्रतिकर राशि प्रतिवादीगण से प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, ऐसा ही समान कथन प्रतिवादीगण के साक्षी डी ड 1 अजय कुमार चौधरी ने अपने शपथ में किया है। किन्तु इस मामले में लापरवाही के संबंध में निष्कर्ष तनकी संख्या 01 व 02 के विनिश्चय में निकाला जा चुका है। इसलिए इस गवाह के अभिवचन एवं साक्ष्य के संबंध में अब पृथक से निष्कर्ष निकाला जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

किसी व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में प्रतिकर/क्लेम की राशि दिलाये जाने के लिए मुख्यतः निम्नलिखित दो बातों पर ध्यान रखा जाना आवश्यक हैः–

1. मत्यु के समय मृतक की आयुः–
2. मृत्यु के समय मृतक की आयः–

इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत Municipal Corporation of Delhi v. Subhagwanti & Ors. 1966 AIR 1750 में Again, in Madhya Pradesh State Road Transport Corporation, Bairagarh, Bhopal v. Sudhakar & Ors. the Court referred to an English decision while emphasising the import of this principle in the following manner:-

“4. A method of assessing damages, usually followed in England, as appears from Mallet v. McMonagle is to calculate the net pecuniary loss upon an annual basis and to “arrive at the total award by multiplying the figure assessed as the

amount of the annual ‘dependency’ by a number of ‘year's purchase’ that is the number of years the benefit was expected to last, taking into consideration the imponderable factors in fixing either the multiplier or the multiplicand...” While applying the multiplier method, future prospects on advancement in life and career are taken into consideration. In a proceeding under Section 166 of the Act relating to death of the victim, multiplier method is applied after taking into consideration the loss of income to the family of the deceased that resulted due to the said demise. Thus, the multiplier method involves the ascertainment of the loss of dependency or the multiplicand having regard to the circumstances of the case and capitalising the multiplicand by an appropriate multiplier. The choice of the multiplier is determined by the age of the deceased or that of the claimant, as the case may be. In injury cases, the description of the nature of injury and the permanent disablement are the relevant factors and it has to be seen as to what would be the impact of such injury/disablement on the earning capacity of the injured. This Court, in the case of U.P. State Road Transport Corporation & Ors. v. Trilok Chandra & Ors. justified the application of multiplier method in the following manner:

“13. It was rightly clarified that there should be no departure from the multiplier method on the ground that Section 110-B, Motor Vehicles Act, 1939 (corresponding to the present provision of Section 168, Motor Vehicles Act, 1988) envisaged payment of ‘just’ compensation since the multiplier method is the accepted method for determining and ensuring payment of just compensation and is expected to bring uniformity and certainty of the awards made all over the country.” The multiplier system is, thus, based on the doctrine of equity, equality and necessity. A departure therefrom is to be done only in rare and exceptional cases.

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में यह प्रतिपादित किया है कि दुर्घटना के मामले में Injury Cases एवं Death Cases में दो प्रकार के Method से आहत एवं मृतक के वारिसान को प्रतिकर की राशि दिलाई जा सकती है। एक Method के अनुसार तो एक मुश्त प्रतिकर राशि दिला कर और दूसरे Multiplier Method के द्वारा जिस प्रकार मोटर दुर्घटना दावों में Multiplier Method प्रयुक्त कर प्रतिकर राशि दिलाई जाती है और उक्त

न्यायिक दृष्टांतों में Multiplier Method को दुर्घटना के मामले में प्रतिकर अदायगी के लिए बेहत्तर बताया है।

हस्तगत मामले में सोहन सिंह की घटना में मृत्यु हुई है तथा वादीगण की ओर से उसकी आय एवं आयु के संबंध में वादीगण के स्पष्ट अभिवचन एवं साक्ष्य है, जिसके खंडन में प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। इसलिए हस्तगत मामले में भी वादीगण को Multiplier Method द्वारा प्रतिकर दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।

1. उपरोक्तानुसार वादीगण की ओर से परीक्षित हुए साक्षी ए ड 1 गोपाल सिंह जो कि मृतक सोहन सिंह का पुत्र है तथा ए ड 2 श्रीमती कांता कुंवर जो कि मृतक सोहन सिंह की पत्नी है, के द्वारा अपने वादपत्र में तथा साक्ष्य में सोहन सिंह की आयु वक्त घटना 40 वर्ष बताई है। वादीगण की ओर से प्रदर्शित करवाई गई पीएम रिपोर्ट प्रदर्श 8 में भी मृतक की आयु 40 वर्ष दर्शित है। आयु के संबंध में वादीगण की ओर से ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किए जाने से मृतक की पीएम रिपोर्ट प्रदर्श 8 को ही आधार मानते हुए वक्त घटना मृतक की आयु 40 वर्ष की होना स्पष्ट होता है और मृतक की इस आयु के खंडन में प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। इसलिए मृतक की वक्त घटना उम्र 40 वर्ष होना स्पष्ट होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत एआईआर 2009 सुप्रीम कोर्ट 3104, श्रीमति सरला वर्मा बनाम दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एवं अन्य में प्रतिपादित किए गए सिद्धांत के परिपेक्ष्य में मृतक की आयु उक्तानुसार **36 से 40 वर्ष** के आयु समूह में आने के कारण **15** का गुणक लगाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

2. दुर्घटना के समय मृतक की आय के संबंध में वादीगण की ओर से कोई आय प्रमाणपत्र तथा उसकी आय के ब्यौरे के संबंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है बल्कि ए ड 2 जो कि मृतक सोहन सिंह की पत्नी है, उसके द्वारा प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट तौर से स्वीकार किया है कि यह सही है कि उसने पति के आयकर रिटर्न पेश किये है, वे वर्ष 2019–20 व 2020–21 के ही पेश किये, इसके बाद के चार वर्षों के आयकर रिटर्न पेश नहीं किये। बैंक स्टेटमेंट भी वित्तीय वर्ष 2020–21 का ही पेश किया है, उसके बाद के चार वर्षों का स्टेटमेंट पेश नहीं किया है। उसने पति के व्यवसाय बाबत् किराया चिट्टी 02.01.2018 से 01.12.2018 तक दिनांक 02.12.2019 से 02.10.2020 तक एवं दिनांक 16.12.2020 से दिनांक 15.11.2021 तक ही हॉटल किराया पर लेने की पेश की है। शेष चार वर्ष की किराया चिट्टी उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। सन् 2021 के बाद उसके पति ने हॉटल व्यवसाय बंद कर दिया था अजखुद कहा कि नौकरी

करते थे। आगे इस गवाह ने स्पष्ट तौर से स्वीकार किया है कि वर्ष 2021 के बाद आय का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जो उसके पास उपलब्ध थे, वो उसने प्रस्तुत कर दिए। चूंकि इस मामले की घटना वर्ष 2025 के पांचवे महिने की है और प्रार्थीगण की ओर से जो मृतक के व्यवसाय तथा आय के संबंध में उपरोक्त दस्तावेज पेश किए है, वे इस मामले की दुर्घटना से 04 वर्ष पूर्व के हैं, ऐसे में प्रार्थीगण की ओर से मृतक की आय एवं व्यवसाय के संबंध में जो उक्त दस्तावेजात पेश किए गए हैं, उन पर विचार किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रार्थीया ए ड 2 श्रीमती कांता कुंवर जो कि मृतक की पत्नी है, के द्वारा जिरह में स्पष्ट तौर से यह भी कथन किया गया है कि सन् 2021 के बाद उसके पति ने हॉटल व्यवसाय बंद कर दिया था। इस गवाह ने अपने बयान में अजखुद कहा कि वे नौकरी करते थे। ऐसी स्थिति में वक्त दुर्घटना मृतक का बतौर नौकरी करना प्रकट होता है और वादीगण की ओर से मृतक के द्वारा वक्त घटना 24000/–रूपये मासिक आय अर्जित करना बताया गया है, वह ठोस दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में माने जाने योग्य नहीं है तथा ए ड 2 श्रीमती कांता कुंवर की साक्ष्य के अनुसार वक्त घटना मृतक का बतौर नौकर नौकरी करना प्रमाणित होता है। चूंकि ए ड 2 की साक्ष्य के अनुसार वक्त घटना मृतक नौकरी करता था, जो कि अर्द्धकुशल श्रमिक होना प्रकट होता है। चूंकि इस मामले की घटना दिनांक 23.05.2025 की है और 2025 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार अर्द्धकुशल श्रमिक की आय 297/–रूपये प्रतिदिन दर्शित है, इसलिए मृतक की वार्षिक आय 297 गुणा 26 गुणा 12**=92,664**/–रूपये होना प्रकट होता है। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2009 एमएसीडी (सुप्रीम कोर्ट) 353 सरला वर्मा बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कम्पनी लिमिटेड में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार मृतक चूंकि विवाहित था और उस पर 05 सदस्य आश्रित होना प्रकट होता। इसलिए यदि मृतक जीवित रहता तो वह 1/4 राशि कुल **23166**/–रूपये वार्षिक मृतक स्वयं पर खर्च करता, जिसे कम करने पर शेष **69,498/–**रूपये वार्षिक की आय हानि प्रार्थीगण को होना प्रकट होता है तथा इसमें 15 के गुणांक का उपयोग करने पर **10,42,470/–** रूपये आय की हानि के रूप में दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।

जहां तक मृतक की भविष्य में आय में वृद्धि एवं उसकी असमय मृत्यु होने के कारण पत्नी एवं अन्य रिश्तेदारों को मिलने वाले प्रेम, स्नेह, आदर, सम्मान, मार्गदर्शन व सहारे तथा मृतक के दाह–संस्कार पर हुये व्यय की क्षतिपूर्ति का प्रश्न है।

इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **नेशनल इन्शोरेंस कंपनी बनाम प्रनय सेठी व अन्य निर्णय दिनांक 31.10.2017** के मामले में मार्गदर्शन सिद्धांत प्रतिपादित किये हैं।

मृतक चूंकि 40 वर्ष की आयु का था। अतः मृतक की भविष्य की आय वृद्धि से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुये मृतक की उक्त वार्षिक आय की 25 प्रतिशत राशि भविष्य में आय की वृद्धि के रूप में निर्धारित किया जाना उचित प्रतीत होता है। तदनुसार उक्त आश्रित आय की हानि **10,42,470** /– रूपये का 25 प्रतिशत **02,60,617 /–** रूपये भविष्य की आय वृद्धि की हानि के रूप में प्रार्थीगण को दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।

इस मामले में मृतक की कोई सम्पत्ति नष्ट हुई हो, इस संबंध में ना तो वादीगण के वाद में अभिवचन है तथा ना ही वादीगण के साक्षीगण ए ड 1 गोपाल सिंह एवं ए ड 2 श्रीमती कांता कुंवर ने अपनी साक्ष्य में कोई कथन किए है। इसलिए प्रार्थीगण को सम्पति की क्षति की मद में कोई प्रतिकर दिलाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

इस मामले में दुर्घटना के परिणामस्वरूप सोहन सिंह की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी और उसे वहां से आवश्यक कार्यवाही हेतु पहले होस्पीटल एवं उसके पश्चात् घर लाया गया है, जिसके परिवहन में भी खर्च स्वभाविक है। इसलिए वादीगण को लाश परिवहन मद में **5,000 /–रू.** दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।

वादीगण ने मृतक के दाह–संस्कार एवं धार्मिक क्रियाकर्म पर व्यय होना बताया है हालांकि इस बाबत् वादीगण द्वारा इस बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है किन्तु शव परिवहन एवं मृतक के क्रियाकर्म पर हुये व्यय से इन्कार भी नहीं किया जा सकता। अतः इस हेतु वादीगण को **15,000 /–रूपये** क्षतिपूर्ति हेतु दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।

मृतक की असमय दुर्घटना में मृत्यु होने के कारण वादीया संख्या 01 अपने पति, वादी संख्या 02, 03 अपने पिता तथा वादी संख्या 4 व 5 अपने पुत्र के स्नेह एवं प्यार आदि से वंचित हो गए है। ऐसी स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त के मामले में प्रतिपादित सिद्धांत को दृष्टिगत रखते हुये वादीगण को प्यार एवं स्नेह एवं सहयोग की मद में **2,00,000 /–**रूपये इस मद में क्षतिपूर्ति स्वरूप दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अन्य किसी भी मद में प्रार्थीगण की कोई ठोस एवं प्रमाणिक साक्ष्य नहीं होने की स्थिति में अन्य किसी भी मद में प्रार्थीगण को कोई प्रतिकर / क्षतिपूर्ति की राशि नहीं दिलाई जा सकती।

वादीगण प्रतिवादीण से संयुक्ततः एवं पृथकतः निम्न प्रतिकर राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैः–

(1) आय हानि पेटे 10,42,470 / –

(2) भावी आय वृद्धि पेटे 02,60,617 / –

(3) लाश परिवहन पेटे 5000 / –

(4) दाह संस्कार कियाकर्म पेटे 15000 / –

(5) स्नेह, प्यार वंचना पेटे 02,00,000 / –

इस प्रकार वादीगण, प्रतिवादीगण से कुल **15,23,087 / –**रू. प्राप्त करने के अधिकारी है।

जहां तक इस मामले में उक्त ब्याज की राशि का प्रश्न है तो वादीगण ने अपने अभिवचनों में प्रतिकर राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज की मांग की है, जो उचित नहीं है क्योंकि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा जो रकम लेन–देन का व्यवसाय किया जाता है, उस पर ब्याज की जो दर निर्धारित है, उस ब्याज दर से अधिक राशि वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो सकते है। इसलिए इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थतियों को देखते हुए वादीगण को उक्त कुल प्रतिकर राशि पर 06 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।

14. **तनकी संख्या–4 अनुतोषः–**

चूंकि तनकी संख्या 01 व 03 वादीगण के पक्ष में तथा तनकी संख्या 02 प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत हुई है। इसलिए वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण संयुक्ततः एवं पृथकतः स्वीकार किया जाकर डिकी किए जाने योग्य है।

–::आदेश::–

15. परिणामतः वादीगण श्रीमती कांता कुंवर वगैरा की ओर से प्रस्तुत वाद बाबत् क्षतिपूर्ति अंतर्गत धारा 1 (ए) घातक दुर्घटना अधिनियम 1855 विरूद्ध प्रतिवादीगण संयुक्ततः एवं पृथकतः निम्न प्रकार से डिकी किया जाता हैः–

(1) वादीगण प्रतिवादीण से संयुक्ततः एवं पृथकतः कुल प्रतिकर राशि **15,23,087** / –रू. प्राप्त करने के अधिकारी है।

(2) वादीगण, प्रतिवादीगण से प्रतिकर राशि पर दावा दायरी दिनांक 10.09.2025 से ताःवसूली तक 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

(3) प्रतिवादीगण को आदेश दिया जाता है कि उक्त क्षतिपूर्ति राशि का चेक एक माह की अवधि में वे संयुक्ततः एवं पृथकतः इस न्यायालय के बैंक खाता संख्या में जमा कराकर

सूचना न्यायालय को प्रस्तुत करे तथा इसकी सूचना वादीगण को भी दी जावें।

(4) प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त प्रतिकर राशि का चेक जमा करवा दिए जाने पर कुल प्रतिकर राशि में से वादीगण श्रीमती कांता कुंवर के नाम की क्रमशः **05,00,000 / –रू.** एक मियादी जमा तीन वर्ष के लिए, वादी गोपाल सिंह एवं अभयप्रताप सिंह प्रत्येक के नाम की **01,00,000–01,00,000 / –रू.** की एक–एक मियादी जमा क्रमशः 03 वर्ष व 05 वर्ष की अवधि के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बनाई जावे। वादीगण श्रीमती भूरी बाई एवं चंदनसिंह प्रत्येक को नाम की **50,000–50,000 / –रू.** जरिये बचत खाता अदा किए जावे एक–एक मियादी जमा 03 वर्ष की अवधि के लिए किसी राष्ट्रीकृत बैंक में बनाई जावे तथा शेष बची राशी वादीया श्रीमती कांता कुंवर को जरिए बचत खाता नकद अदा की जावे।

(5) उपरोक्त वादीगण समयावधि से पूर्व उक्त एफडीआर को न्यायालय की अनुमति के बिना नहीं तुड़वा सकेंगे तथा न ही उस पर किसी प्रकार का ऋण प्राप्त कर सकेंगे।

(6) वादीगण के नाम करवाये जाने वाली एफडीआर की ब्याज राशि त्रैमासिक रूप से उनके बचत खाते में जमा की जाती रहेगी।

उक्तानुसार ही डिक्री पर्चा मूर्तिब किया जावे।

{रामेश्वर प्रसाद चौधरी}
जिला न्यायाधीश,
सलूम्बर जिला–सलूम्बर

16. निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 04.05.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं उदघोषित किया गया।

{रामेश्वर प्रसाद चौधरी}
जिला न्यायाधीश,
सलूम्बर जिला–सलूम्बर